

अप्रतिवेद्य

**भारतीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष  
सिविल अपील की अधिकारिता  
सिविल अपील संख्या— 1462/2017  
(एस0 एल0 पी0 (सी) संख्या 14820/2017)**

होरी लाल

..... अपीलार्थी (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य

..... प्रत्यर्थी (गण)

निर्णय

न्यायमूर्ति, अभय मनोहर सप्रे

**1. अनुमति प्रदान की गई।**

2. माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के रिट याचिका संख्या-44731 दिनांकित 09.03.2017 के अंतिम निर्णय और आदेश के विरुद्ध यह अपील निर्देशित है जिससे उच्च न्यायालय इलाहाबाद के खंड पीठ ने अपीलार्थी के द्वारा दाखिल की गई रिट याचिका को, एतस्मिन् खारिज कर दिया।

3. इस अपील में सम्मिलित छोटे विवाद का मूल्यांकन करने के लिये कुछ प्रासंगिक तथ्यों का उल्लेख करने की आवश्यकता है।

4. यहां अपीलार्थी रिट याचिकाकर्ता था, जबकि यहाँ के अपीलार्थी गण उच्च न्यायालय के समक्ष दाखिल रिट याचिका में, अपीलार्थी गण थे, जिससे यह अपील उत्पन्न हुई।

5. भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 (संक्षिप्त प्रयोग के लिये —“अधिनियम 1994”) की धारा 4 में प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में, उत्तर प्रदेश राज्य ( एतस्मिन् प्रत्यर्थी संख्या— 1) ने भूमियों के अधिग्रहण के लिये एक अधिसूचना जारी किया जो अधिसूचना की अनुसूची में विस्तृत है।

6. वाराणसी जिले में सार्वजनिक उद्देश्य के लिये वाराणसी बाईपास के निर्माण के लिये अधिग्रहण किया गया था, फिर भी राज्य ने, धारा-7 के तहत तात्कालिकता खंड को लागू किया, इसलिए अधिनियम 1894 की धारा 5 के तहत जांच के साथ भेज दिया गया। इसके बाद 29.11.2014 को धारा 6 के तहत धोषणा की गई। इन अधिग्रहण कार्यवाहियों में अपीलार्थी की भूमि का अधिग्रहण किया गया था।

7. अधिनियम 1894 को 01.01.2014 को निरसित कर दिया गया था और अन्य अधिनियम “भूमि अधिग्रहण में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार, पुर्नवास और

अस्वीकरण

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा”।

पुनर्स्थापन अधिनियम 2013" ( संक्षिप्त प्रयोग के लिये –"अधिनियम 2013") से प्रतिस्थापित कर दिया गया था। अधिनियम 2013, 01.01.2014 से प्रभाव में आया।

8. तथापि भूमि अधिग्रहण अधिकारी अधिनियम 1894 के निरसित होने के बाद, तदनुसार उपर्युक्त भूमि के सम्बन्ध में भूमि मालिक (एतस्मिन अपीलार्थी) को देय मुआवजे का निर्धारण करने का आदेश 30.06.2016 को जारी किया (परिशिष्ट पी-4)।

9. अपीलार्थी (रिट याचिकाकर्ता) 30.06.2016 दिनांकित जारी आदेश सहित सम्पूर्ण अधिग्रहण कार्यवाहियों से व्यथित हुआ और अधिनियम 1894 की धारा 4 के तहत 30.10.2002 दिनांकित को जारी अधिसूचना और 30.06.2016 दिनांकित जारी आदेश को भी, उसकी वैधता और विधि मान्यता को चुनौती देते हुये उच्च न्यायालय इलाहाबाद के समक्ष रिट याचिका दाखिल किया।

10. अपीलार्थी की मुख्य चुनौती अधिग्रहण कार्यवाहियों के लिये थी कि सम्पूर्ण अधिग्रहण कार्यवाहियों को प्रत्यर्थी-राज्य के द्वारा अधिनियम 1894 की धारा 4 के तहत 30.10.2002 को जारी अधिसूचना की शक्ति के आधार पर प्रारम्भ की गई थी, जिसके तहत अन्ततः 30.06.2016 को आदेश जारी किया गया अधिनियम के निरसन के परिणामस्वरूप इसका पतन हो गया।

11. यहा उल्लेख करना आवश्यक है कि उच्च न्यायालय के सुनवाई के समय से पहले, रिट याचिकाकर्ता (एतस्मिन अपीलार्थी) अधिग्रहण कार्यवाहियों के लिए स्पष्ट रूप से चुनौती को त्याग दिया और भूमि अधिग्रहण अधिकारी के द्वारा केवल निर्धारित मुआवजा के तरीके और परिणामस्वरूप इसकी मात्रा तक अपनी चुनौती को सीमित कर दिया था।

12. राज्य, उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रति सपथ पत्र में अधिनियम 2013 की धारा 113 के तहत केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी आदेश में पाया और तर्क दिया कि अपीलार्थी को दिया गया मुआवजा उस समय के बाजार मूल्य के आधार पर निर्धारित किया गया था जो 01.01.2014 को प्रचलित था।

13. आक्षेपित आदेश द्वारा माननीय उच्च न्यायालय ने रिट याचिका को खारिज कर दिया। उच्च न्यायालय ने माना कि राज्य का इस वाद में दृष्टिकोण है कि अपीलार्थी को दिया गया मुआवजा उस समय के बाजार मूल्य के आधार पर निर्धारित किया गया था, प्रश्न के तौर पर क्या वह 01.01.2014 को प्रचलित था, किसी प्रश्न के निर्णय के लिये कुछ भी अस्तित्व में नहीं है तथापि अपीलार्थी को स्वतंत्रता प्रदान की गई कि कानून के अनुसार अधिनियम 2013 के तहत मुआवजे का निर्धारण के लिये सक्षम प्राधिकारी को सन्दर्भित करते हुए दावा करें।

14. यह उच्च न्यायालय के इस आदेश के विरुद्ध है, जिससे अपीलार्थी व्यथित होता है और इस न्यायालय में विषेश छूट के द्वारा यह अपील दाखिल की गई।

15. संक्षिप्त प्रश्न, जो इस अपील के विचारण के लिये उत्पन्न हुआ कि उच्च न्यायालय के द्वारा अपीलार्थी की रिट याचिका का खारिजीकरण न्यायसंगत है और यदि ऐसा है तो उच्च न्यायालय का तर्क कानूनी, उचित और उपयुक्त है

16. अपीलार्थी की तरफ से विद्वान अधिवक्ता श्री पल्लव सिसोदिया और प्रत्यर्थी की तरफ से विद्वत महाअधिवक्ता श्री तुसार मेहता को सुना।

#### **अस्वीकरण**

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।"

17. पक्षकारों की तरफ से विद्वत अधिवक्ताओं को सुनते हुए और वाद के अभिलेखों का अवलोकन करने पर हमने इस अपील में कोई विशेषता नहीं पाया।

18. जैसा कि उल्लेखित है, उच्च न्यायालय ने माना कि राज्य द्वारा लिये निर्णय के आलोक के उनके प्रत्युत्तर में कहा कि अपीलार्थियों की अधिग्रहीत भूमि का बाजार मूल्य के निर्धारण के लिए उपयुक्त दिनांक वह दिनांक होगी जो केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित की गई है, जो है "01.01.2014" और इसलिए, तदनुसार राज्य द्वारा अपीलार्थी को प्रदान करने योग्य मुआवजे का निर्धारण किया गया। यह आदेश इन कार्यवाहियों में चुनौतियों के तहत नहीं है।

19. वास्तव में राज्य द्वारा इस परिस्थिती में बचाव लिया गया कि इस वाद में अपीलार्थी को मुआवजा के लिए आधार यह दिनांक 01.01.2014 होगी, को ध्यान में रखते हुए निर्धारित होगा अपीलार्थी इस प्रक्रिया से संतुष्ट होना चाहिये। स्पष्ट कारण यह है कि यद्यपि अधिग्रहण पुराने अधिनियम 2002 के अनुसार किया गया था फिर भी अपीलार्थी को नये अधिनियम 2013 में मुआवजे के निर्धारण की आधार दिनांक 01.01.2014 के तहत मुआवजा पाने का हकदार माना।

20. इसलिए हमको अपीलार्थी की तरफ से विद्वान अधिवक्ता के दिए गये तर्क में कोई अच्छा आधार नहीं मिला, जब उन्होंने तर्क दिया कि मुआवजे के निर्धारण का दिनांक वह दिनांक होना चाहिए जिस पर भूमि अधिग्रहण अधिकारी द्वारा आदेश जारी किया गया था। इस तर्क में कोई आधार नहीं है और इसलिए साधारण कारण के लिए स्वीकार्य योग्य नहीं है कि ऐसा दिनांक न तो ही पुराने अधिनियम 1894 में दिया गया था और ना ही नये अधिनियम 2013 में है।

21. वास्तव में कितना निर्धारित मुआवजा और कौन सी सन्दर्भित दिनांक आवश्यक है अधिनियम में दिया गया है और स्वीकार्यतः विद्वत अधिवक्ता के द्वारा सुझाई गयी तारीख या तो पुराने अधिनियम में अथवा नये अधिनियम में नहीं दी गई है। इसलिए यह तर्क गुणो से रहित है और खारिज के योग्य है। यह तदनुसार खारिज की जाती है।

22. इसलिए हम उच्च न्यायालय द्वारा दिए गये आक्षेपित आदेश की तुलना में एक अलग दृष्टिकोण लेने के लिए कोई अच्छा आधार नहीं पाते हैं।

23. जैसा कि उल्लेखित है क्योंकि अपीलार्थी (रिट याचिकाकर्ता) द्वारा उच्च न्यायालय में अधिग्रहण कार्यवाहियों को स्पष्ट रूप से छोड़ दिया गया था, उच्च न्यायालय द्वारा सही रूप से इस प्रश्न का निर्धारण नहीं किया गया। हम भी वर्तमान अपील में इस प्रश्न की परीक्षा की आवश्यकता नहीं समझते हैं।

24. तथापि, निर्णय से पहले, हम विचार करते हैं कि यहाँ उल्लेख करना उपयुक्त है, उच्च न्यायालय के द्वारा जारी आक्षेपित आदेश द्वारा प्रदान की गई स्वतंत्रता के तहत अपीलार्थी को सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिनियम 2013 के तहत दिये गये प्रक्रिया के अनुसार पुनः निर्धारित मुआवजा पाने का हकदार होगा।

25. इस प्रकार अपील विफल होती है, तदनुसार खारिज की जाती है।

#### **अस्वीकरण**

*"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।"*

.....  
न्यायमूर्ति (अभय मनोहर सप्रे)

.....  
न्यायमूर्ति (आर. सुभाष रेड्डी)

नई दिल्ली,  
05 फरवरी 2019,

**अस्वीकरण**

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा”।